LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 260/15,260/16,260/17 VILLAGE NANDRA KALLAN AT JODHPUR

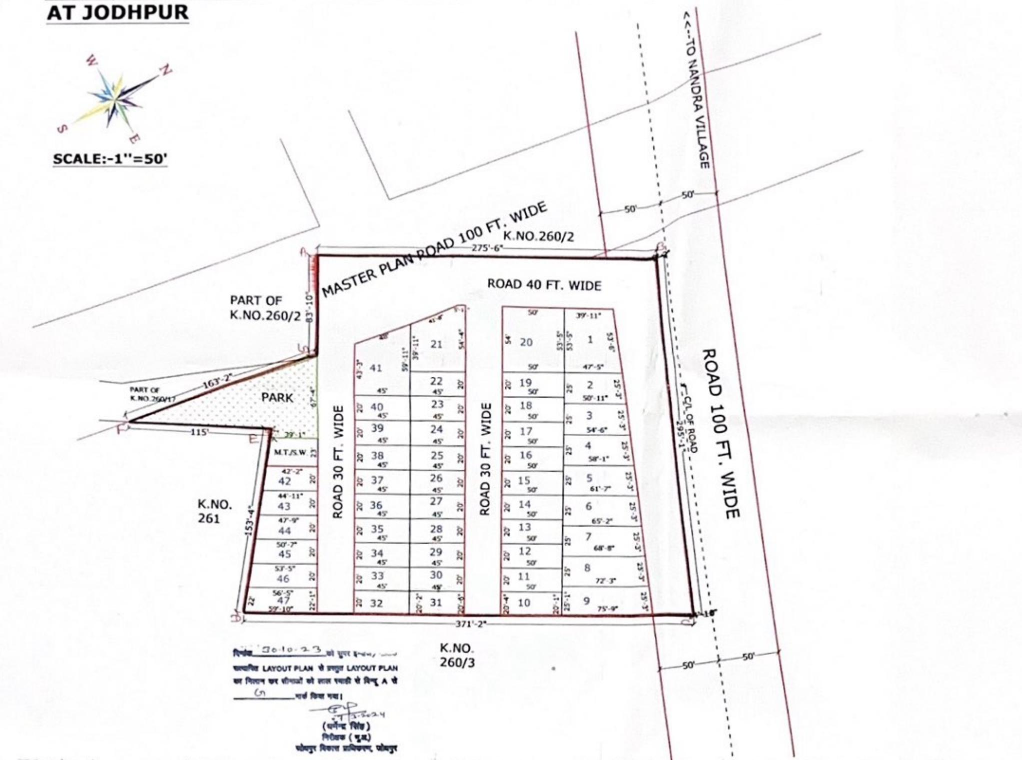

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	6127.26	56.02 %
PARK AREA	548.15	05.01 %
M.T./S.W.D. AREA	103.82	00.95 %
ROAD AREA	4159.17	38.02 %
TOTAL SCHEME AREA	10938.40	100.00 %
Area in Bigha. = 05 Bigha , 13 BISHWA		

Rajkaj No. - 02481

एजेण्डा संख्या 09 :– JDA/Dir(P)/Z-01/489 31/07/24

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
09.02.2024	जोन–1	नान्दडा कलां	260/15, 260/16 व 260/17 वगैराह	ख.नं. 260/15 रकबा 02.01.00 बीघा, ख.नं. 260/16 रकबा 02.01.00 बीघा, ख.नं. 260/17 रका 02.01.00 बीघा मे से 01.11.00 बीघा, कुल रकबा 05.13.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	1. श्री रामनिवास जांगिड पुत्र श्री पीथाराम जांगिड़, 2. श्रीमती नैनीदेवी सोनी पत्नी श्री दिनेश कुमार व 3. श्री रेवतराम पुत्र श्री प्रहलादराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 260/15, 260/16 व 260/17 वगैराह कुल रकबा 05.13.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सडक को ले–आउट प्लान में दर्शाया जावे। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. योजना का क्षैत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर ब्अमतीमंक ॅजमत ज्ंदा का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 6. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।					

वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आयुक्त (जोन), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर